समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण , नई-दिल्ली

आई.ए. संख्या 0701109021822021/MA/6 सन - 2023

इन

इ. ए. संख्या - 38 सन - 2022

इन

ओ.ए. संख्या - 165 सन- 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में लक्ष्मी ताल के साथ नगर पार्क के लिए आरक्षित (निजी भूमि) भूमि पर अतिक्रमण बाबत |

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त तथ्यों / साक्ष्यों को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखने हेतु **पक्षकार बनने के लिए हम प्रार्थीगण द्वारा निम्न लिखित तथ्य प्रेषित किये जा रहें है |**

1- महोदय उक्त प्रकरण में जिस नगर पार्क कि भूमि पर अतिक्रमण कि बात कही गयी है वह जमीन निजी कास्तकारों कि भूमि है एवं जिसको झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2001 में नगर पार्क के लिए आरक्षित किया गया था परन्तु महोदय न ही प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगायी और न ही आज तक लगभग 20 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि निजी कास्तकारों से क्रय की गयी है |

2- महोदय उक्त भूमि से ही लगा हुआ लगभग 100 एकड़ का सरकारी नगर पार्क (नारायण बाग) स्थित है जोकि पूर्णतः हरा भरा एवं अतिक्रमणमुक्त है |

3- महोदय उक्त वाद में जिस नगर पार्क कि भूमि पर अतिक्रमण कि बात कही गयी है उस पर लगभग 1000 मकान बने हुये हैं जिनमे से अधिकांश मकान लगभग 15 से 20 वर्ष पुराने के बने हुए है |

4- महोदय अनेक गृह स्वामी ऐसे हैं जिनके आवास माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण हुए हैं जिनमें सरकार का धन व्यय हुआ है और यदि नगर पार्क की आरक्षित भूमि थी तो उपरोक्त भवन सरकार द्वारा क्यों निर्मित कराये गए जो न्याय सांगत नहीं है

5- महोदय आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त मकानों पर बिजली , पानी सड़क, नाली आदि की सुविधाएं विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है एवं समस्त भवन स्वामी उनका गृहकर, बिजली बिल, जलकल बिल इत्यादी का नियमानुसार भुगतान कर रहें है |

6- महोदय जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराते समय एवं भवन निर्माण कराते समय झाँसी विकास प्राधिकरण एवं उप निबंधक राजस्व द्वारा भवन स्वामियों को भवन की रजिस्ट्री कराने एवं निर्माण कराने से क्यों नही रोका गया |

7- महोदय कुछ भवन स्वामियों द्वारा झाँसी विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृत हेतु आवेदन भी किया गया परन्तु झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा उसे न ही स्वीकृत किया गया और न ही निरस्त किया गया जिसकी बजह से भूस्वामियों द्वारा निर्माण कर लिये गए |

8- महोदय आपको यह भी अवगत कराना है कि जिसको झाँसी विकास प्राधिकरण महायोजना 2031 में उक्त भूमि को आवासीय करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर चुका है जिसका हम सभी क्रेतागण सम्मान सहित सहमत हैं |

9- महोदय उक्त निजी भूमि पर नगर पार्क विकसित करना संभव नहीं है क्योंकि कई वर्षो से पुराने मकान एवं घनी बस्ती बनी हुई है ऐसा झाँसी प्राधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी कहा गया है |

10- महोदय झाँसी में झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा 2021 के महानगर प्लान में 1280 हेक्टेयर भूमि नगर पार्क हेतु आरक्षित की गयी थी जबकि 2031 के नये मास्टर प्लान में 2325 हेक्टेयर भूमि को नगर पार्क के लिये आरक्षित की गयी है जिसका पत्र संलग्न है |

11- महोदय श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिये यह वाद दायर किया है जबकि इसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो भूमि यह नगर पार्क के लिये बताते हैं वह सम्पूर्ण भूमि नरेन्द्र कुशवाहा एवं इनके परिवार द्वारा ही बेंची गयी है |

12- महोदय फिर भी निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि यदि इसके बाबजूद भी झाँसी विकास प्राधिकरण एवं शासन - प्रशासन उपरोक्त भूमि पर नगर पार्क को विकसित कराना चाहता है तो जो लगभग 1000 मकान निजी भूमि पर निर्मित हो चुके हैं उन सभी गृह स्वामियों को मुवावजे के रूप में जमीन एवं निर्माण कार्य में व्यय हुई समस्त धनराशी प्रदान कर दी जाये तो हम सब गृह स्वामी सहर्ष देने को तैयार हैं |

अतः माननीय न्यायाधिकरण से निवेदन कि हम सभी उक्त क्षेत्र के निवासी जिन्होंने निजी कास्तकारों से Registered Sale deed द्वारा भूमि क्रय करके भवन निर्माण किया है एवं उक्त क्षेत्र में पर्याप्त हरा भरा खुला एरिया उपलब्ध है एवं हम सभी का हित निहित है अतः उक्त प्रकरण कि सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित होगा |

आपकी इस कृपा के लिए हम सभी आवेदक आपके सदैव आभारी रहेंगे |

दिनांक:- 11/02/2023

प्रार्थीगण

Rahul Rajpoot   Santosh Arya   रमेश शर्मा

सुदीप [illegible]   विनोद

अर्जुन कुशवाहा

SK Gupta   राजीव   अशोक   विवेक रायकवार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL 1

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05AE 906231

समक्ष:- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली |

IA संख्या 0701109016242022/MA/A सन 2023

नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि

शपथपत्र

शपथपत्र मिनजानिव राहुल राजपूत पुत्र श्री विजय सिंह राजपूत निवासी - महाराणा प्रताप नगर पिछोर गुमनावारा झाँसी शपथपूर्वक निम्न कथन करता है -

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है |
2. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण से भली भांति वाकिफ है |
3. यह कि शपथपत्र की धारा 1 लगायत 12 में जो भी वर्णन किया गया है वह सच व सही है इसमें कोई तथ्य झूठा या छिपाया गया नहीं है |

सत्यापित आज दिनांक 11/02/2023 को अहाता कचहरी झाँसी में किया गया |

शपथकर्ता

Verified before me this day by shri/smt ... whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri... Received the legal fee Rs. 35.00 Cash

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI 11/02/23

संलग्नक–7

Report of town planner regarding green area proposed in draft master plan 2031

कार्यालय, सहयुक्त नियोजक,
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग, सम्भागीय नियोजन, खण्ड झांसी।

संख्या– 454/सह०नियो०/(2021–22) दिनांक 30 मार्च 2022

प्रेषक,

सहयुक्त नियोजक
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग
सम्भागीय नियोजन, खण्ड
झांसी।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

विषय :– अमृत योजना अन्तर्गत झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण सीमान्तर्गत महायोजना 2021 एवं झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया (GIS Based) का विवरण निम्न प्रकार है :–

झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 1280.62 हे०
झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 2325.69 हे०

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

(एन.के.पुष्कणी) 30/3/22
सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी

Amit2022_88

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

903791

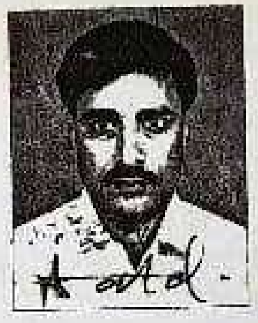

उ0प्र0-1 (2) 111 (पेज नम्बर 7 क्रम संख्या 117 दर 2800/- रुपया प्रति वर्ग मीटर से स्टाम्प अदा किया (उक्त प्लाट पिछोर के [illegible] वाले क्षेत्र में है

स्टाम्प का योग :- 31710/-रुपया

बाजार मालियत :- 453000/-रुपया

विक्रय मूल्य :- 20,000/- रुपया तय पाया है-

मौजा/मोहल्ला :- पिछोर (पिछोर के [illegible]) वाला क्षेत्र झांसी

वार्ड नम्बर :- 29

मापन की इकाई :- वर्गमीटर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 161-71 वर्गमीटर

सड़क की स्थिति :- उक्त प्लाट 20 फुट चौड़े मार्ग पर वाके है-

सम्पत्ति का प्रकार :- आवासीय प्लाट जो आराजी नम्बर 820का/जुज है

सतीश कुमार गुप्ता

कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी।

सेवा में,

सचिव / उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

दिनांक :–

पत्रांक :– /भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2012–13

विषय :– **अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध श्री / श्रीमती **सतीश कुमार गुप्ता** पुत्र / पत्नी श्री **प्रेम नारायण दास गुप्ता** निवासी– **लाडगंज रानीपुर झांसी** मौजा / मुहल्ला **पिछोर** आराजी न0 / मकान न0 820 के [illegible] भाग का प्रार्थना पत्र वांछित अभिलेखों सहित प्राप्त हुआ, निगम के सम्पत्ति अधिकारी की [illegible] के अनुसार प्रस्तावित निर्माण से नगर निगम / नजूल की भूमि पर अतिक्रमण नही होता है। यह अनापत्ति निम्नांकित टिप्पणी के प्रतिबन्धों सहित दी जाती है। प्रश्नगत् स्थल की भूमि / भवन पर अनापत्ति दिये जाने में नगर निगम झाँसी को कोई आपत्ति नही है।

शासनादेश सं0–(1)9 आ–3–98–33 काम्प / 2004 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, माह जून 2004 में उल्लेखित दरों के अनुसार अम्बार शुल्क **रू0 4007 /–** नियमानुसार नगर निगम में जमा कराने का कष्ट करें।

नोट :– यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र उसी आवासीय कालोनी / क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले–आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी / क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया हैं यदि सम्बन्धित क्षेत्र का ले–आउट आवासीय कालोनी / क्षेत्र रूप में झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नही होगा तो उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी / अमान्य / निरस्त माना जायें।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी नगर निगम, झाँसी
दिनांक :–21.10.2012

पत्रांक :– 356 /भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2012–13

प्रतिलिपि :– श्री / श्रीमती **सतीश कुमार गुप्ता** पुत्र / पत्नी श्री **प्रेम नारायण दास गुप्ता** निवासी– **लाडगंज रानीपुर झांसी** को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी नगर निगम, झाँसी

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, ग्वालियर रोड, झाँसी 838

Email : pm.acujhansi@gmail.com Mob. 9532501811 **S. No.** 01/03/2020

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत झाँसी नगर में नवीन गृह जल संयोजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

उपभोक्ता का नाम : SATISH KUMAR GUPTA

पिता का नाम : NARYAN DAS GUPTA

उपभोक्ता का पूर्ण पता जहाँ जल संयोजन किया गया है : 1632/2A, MAHARANA PRATAP NAGAR, GUMNAWARA, PICHOR, JHANSI

आधार संख्या : 7194 8474 3197 5. मकान नं0 ......

मोबाइल नम्बर : 9455567043 संख्या — (3)

जल निगम द्वारा मेरे घर का निःशुल्क जल संयोजन कर दिया गया है, जो सुचारु रुप से कार्य कर रहा है, इससे मैं पूर्ण रुप से संतुष्ट हूँ।

Meter No:- 2019A2507004

अवलोकित

सहायक परियोजना अभियन्ता   परियोजना अभियन्ता   उपभोक्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, ग्वालियर रोड, झाँसी

Book No. 03   S. No. 351

रसीद   11/2/21

श्री / श्रीमती सतीश कुमार गुप्ता

पुत्र / पत्नी नारायण दास गुप्ता

ग्राम महाराणाप्रतापनगर गुमनावारा झाँसी

मीटर संख्या ...... संयोजन सं0 838

नगद प्राप्त किया। नव + डिस + जन + फरवरी-21

	अवशेष	वर्तमान मांग
जल मूल्य		480.00
अन्य		
योग		480.00

सहायक परियोजना अभियन्ता / कर संग्रही

विषय- अनापत्ति प्रमाणपत्र (N.O.C.) के सम्बन्ध में आख्या :-

महोदय

प्रार्थी सतीश कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमनारायनदास गुप्ता नि. लक्ष्मणगंज रानीपुर झाँसी के उपरोक्त विषयक प्रार्थनापत्र की जाँच की गयी। संलग्न बैनामा छायाप्रति के अनुसार प्रार्थी ने एक किता आवासीय प्लाट क्षेत्र- 30 फुट × 58 फुट = 1740 वर्गफुट याने 161.7। वर्गमीटर स्थित मुस्तावारा पिछोर झाँसी जरिये रजि. बैनामा दिनांक 650/3-2-2010 को विक्रेता जफर तनय हाजी अब्दुल करीम नि. अन्दर उन्नावगेट झाँसी से क्रय किया है। उक्त क्रय किया गया प्लाट मौजा पिछोर के आराजी संख्या 820 के जुज भाग में स्थित है। तथा नगर निगम, नजूल, ग्राम-सभा की भूमि/सम्पत्ति नहीं है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
05.9.12
लेखपाल

महोदय

लेखपाल आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
10/9/12
कानूनगो

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
झाँसी

2773

अग्रसारित

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

मानचित्र प्राप्ति रसीद

1. जमा मानचित्र संख्या 261100812 — जोन संख्या 4
2. जमा करने की तिथि 28/Nov/2012 — संदर्भ संख्या
3. आवेदक का नाम एवं पता SATISH KUMAR GUPTA

   LAD GANJ RANIPUR
4. मानचित्र निस्तारण के संबंध में जानकारी के लिये कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने की सम्भावित तिथि ~~12/18/2012~~ 28-11-2012
5. जमा मानचित्र शुल्क/फार्म शुल्क का विवरण

चालान संख्या	764	दिनांक	11/22/2012
जमा धनराशि	256	जमाकर्ता बैंक का नाम	State Bank of Indore

6. मानचित्र स्वीकृत किये जाने की सम्भावित तिथि 12/26/2012

प्राधिकरण की सील — कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

जमाकर्ता लिपिक के हस्ताक्षर

नाम

पद

र निगम के अनुज्ञाप्ती अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक

BOOK NO.-2 RULE (8)
Unique ID No. :29/299/7602
Date : 25-02-2022

HOUSE TAX RECEIPT

Book No.	132941	Receipt No.	100132933
Name of Owner (All).	Mr.SATISH KUMAR GUPTA S/O NARAYAN DAS	Ward No.	29
New House No.	1542	Mohalla.	MAHARANA PRATAP NAGAR
Old House No.	1632/12A	**House Tax Current (Year on 2021-22)**	1170
Due Amount.	0	Rebate on Current Tax 0%.	0
Intrest on Due Amount.	0	**Total Tax.**	1170
Cheque/DD/Cash/Card.	Cash	Cheque No.	—
Bank's Name	—	**Deposite(Rs.)**	1170 (Full Payment)
Cheque Dated:	—	Total Balance Rs.	0
Rupees in words :-	One Thousand One Hundred Seventy Only	Cashiar Name	PRAMOD YADAV

टिप्पणी : यह कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद है , यदि कोई त्रुटि हो तो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से सम्पर्क करे । चैक द्वारा जमा करने पर चैक बैक से क्लीयरेन्स होने पर ही भुगतान मान्य होगा। ।यह रसीद भूस्वामित्व का प्रमाण नहीं है ।

Signature of Cashier

नगर निगम झांसी
NAGAR NIGAM JHANSI

प्रपत्र संख्या - 2

पुस्तक संख्या -

नगर निगम झाँसी

CA के आदेश दि. 7-7-14 के अनुसार [illegible] निर्धारित के अनुसार वर्ष 2014-15 से [illegible]

(नियम 8 देखें) प्रपत्र संख्या 47

श्री/श्रीमती सतीश कुमार गुप्ता S/o नारायण दास

मोहल्ला - 19 महाराणा प्रतापनगर सिविल मकान - 1632/12A से प्राप्त हुए।

रजिस्टर की क्रम संख्या	भूगृहादि का नाम अथवा संख्या	करों का विवरण	अवधि	बकाया यदि कोई हो तो	वर्तमान कर	योग	अन्य विवरण
	मोहल्ला 1632/12A महाराणा प्रतापनगर सिविल	सामान्य कर H.T Rs. 1308/- [illegible]	2014-15 मार्च तक	रु० पैसे —	रु० पैसे 1308-00	रु० पैसे 1308-00	

शब्दों में रुपया एक हजार तीन सौ आठ मात्र Rs. 1308-00

दिनांक - 10-7-14 [signature] 10-7-14

रोकड़िया - लिपिक/कर संग्रहकर्ता कर अधीक्षक नगर आयुक्त

अनुज्ञाप्ती (लाईसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञाप्ती के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और नगर निगम के अनुज्ञाप्ती अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

झाँवि झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक- 142 जे0डी0ए0-जनसूचना / 2019-20

प्रेषक

दिनांक 03 मई, 2019

जनसूचना अधिकारी,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

सेवा में,

श्री अमित श्रीवास पुत्र श्री राम शरण
निवासी- 1685 / 1-एन. गुमनावारा,
वार्ड नं0- 29, महाराणा प्रताप नगर, झाँसी

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का प्रेषण।

महोदय,

आपका प्रार्थनापत्र दिनांक 18.04.2019 के द्वारा चाही गयी सूचना का विवरण निम्नवत है।

मांगी गयी सूचना	उत्तर
1. आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) वार्ड नं0 29, तहसील व जिला-झाँसी को झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी योजना के लिये कब अधिग्रहण किया गया था।	आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) तहसील व जिला-झाँसी का झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया।
2. आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) वार्ड नं0 29, तहसील व जिला-झाँसी को झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य अब तक कराये गये हैं या कराये जा रहे हैं उन कार्यों की वर्षवार सूची।	आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) तहसील व जिला-झाँसी में विकास कार्य कराये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) वार्ड नं0 29, तहसील व जिला-झाँसी में कुल कितने अध्यासी है। नक्शा सहित सूची।	मांगी जा रही सूचना 'सूचना सृजन' की श्रेणी से आच्छादित होने के कारण सूचना अभिलेख स्वरूप सूची के रूप में उपलब्ध नहीं है।
आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) वार्ड नं0 29, तहसील व जिला-झाँसी को झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा कितने नक्शे अब तक स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची भवन मालिक के नाम के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	आराजी संख्या- 820, मौजा गुमनावारा (पिछोर) तहसील व जिला-झाँसी में कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है।

तदनुसार सूचित हों।

03.05.19

(जितेन्द्र सिंह सहरवार)
जनसूचना अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रधानमंत्री
आवास योजना-शहरी
(सबके लिए आवास)

लाभार्थी का नाम- राजकुमारी S/0 विनोद वंशकार

वार्ड नं.-32

पता-गुमनाबारा,मेडीकल कालेज,पिछोर झाँसी

नगर निकाय-झाँसी

घटक-लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण

निर्माण वर्ष-2019-20

लाभार्थी आई.डी.- 098010308034300086